

**राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक: प.11(5)नविवि / 2021

जयपुर, दिनांक : यथा ई—हस्ताक्षर

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19.08.2021 एवं 04.08.2022 द्वारा रूपवास के अधिसूचित नगरीय क्षेत्र हेतु नगर नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये गये रूपवास मास्टर प्लान-2041 का अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त रूपवास मास्टर प्लान-2041 की प्रति का अवलोकन कार्यालय नगर पालिका, रूपवास में सभी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है। यह मास्टर प्लान-2041 नगरीय विकास विभाग की Website: <https://udh.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव –प्रथम

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगर विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, मुख्य नगर नियोजक, एनसीआर, राजस्थान, जयपुर।
7. जिला कलक्टर, भरतपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक, एनसीआर, राजस्थान, जयपुर।
10. उप नगर नियोजक, क्षेत्रीय कार्यालय भरतपुर, भरतपुर।
11. प्रोग्रामर, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाने जाने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रूपवास (जिला—भरतपुर)।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव –प्रथम